L . A. BILL No. LX OF 2023.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT, 2016.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६० सन् २०२३।

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ में संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ में संशोधन करना इष्टकर है; अत: भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

सन् २०१६ का महा. २६ की धारा ३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (सात) में, " मेट्रो और मोनोरेल को छोडकर " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे। सन् २०१६ का महा. २६।

सन् २०१६ का महा. २६ की नई धारा १५ क का निवेशन ।

३. मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात :—

संदेह का निराकरण।

" **१५क.** संदेह के निराकरण के लिये एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, इस अधिनियम की कोई बात विद्युत का उपभोग या बिक्री (चाहे सरकार या अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित हो) पर कर का अधिरोपण या कर लगाने के लिए अधिकृत करने के लिये कुछ भी नहीं करेगी,—

(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है उस सरकार द्वारा उपभोग के लिये बेचा जाता है, या

(ख) भारत सरकार के किसी भी रेल्वे, मेट्रो रेल, या मोनो रेल के निर्माण, रखरखाव, या प्रचालन में उपभोग किया जाता है या रेल्वे, मेट्रो रेल, या मोनो रेल के निर्माण, रखरखाव, या प्रचालन में उपभोग के लिये बेचा जाता है । "।

सन् २०१६ का महा. २६ की नई संलग्न अनुसूची में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की संलग्न **अनुसूची क मे " भाग-छ-मोनो और मेट्रो रेल "** से संबंधित अनुक्रमांक ७ की प्रविष्टि अपमार्जित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. २६) महाराष्ट्र राज्य में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिये उपबंध अधिनियमित करता है। उक्त अधिनियम की धारा ३ के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, क्रमांक इ एल डी. २०१६/सी आर. २५२/ऊर्जा-१ दिनांकित २१ अक्तूबर, २०१६ के अनुसार मेट्रो रेल के लिए विद्युत शुल्क की दर, उसके द्वारा उपभोग किये गये विद्युत ऊर्जा का उपभोग प्रभार बीस प्रतिशत है।

२. मेट्रो रेल का प्रचालन का स्वरूप अत्यधिक ऊर्जा के उपभोग पर है। इसलिए, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे निगम लिमिटेड, विद्युत शुल्क भारी खर्च और ऐसे प्रचालन के लिए विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर उपभोग प्रभार उपगत करता है। उक्त निगम ने, दिल्ली मेट्रो रेल्वे के मामले में विद्युत शुल्क में छूट देने की तर्ज पर ऐसा विद्युत शुल्क माफ करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। यदि मेट्रो रेल का विद्युत शुल्क माफ़ किया जाता है तो मेट्रो रेल की सेवा लोगों के लिये यातायात लागत में विद्युत शुल्क माफ़ कर सकेगी। यातायात लागत घटायी जाती है तो मेट्रो रेल **साथ ही साथ** सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिये बडे पैमाने पर लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

साथही, भारत के संविधान के अनुच्छेद २८७ के उपबंधों के अनुसार, किसी भी रेल्वे का संनिर्माण, रखरखाव या उपभोग या प्रचालन के लिये विद्युत के उपभोग या विक्री पर कर नहीं लगाया जायेगा ।

३. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार मेट्रो रेल्वे **साथ ही साथ** मोनो रेल के लिये उक्त अधिनियम के अधीन विद्युत शुल्क माफ़ करने के लिये, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपुर,
दिनांकित १५ दिसंबर, २०२३ ।

देवेंद्र फडणवीस,
उप-मुख्यमंत्री।

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६ (सन् २०१६ का महा. २६) में संशोधन करना प्रस्तावित है।

इस विधेयक में राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिती पर राज्य की समेकित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती व्यय का उपबंध अंतर्विष्ट नहीं किया गया है।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, २०२३ ई. पर पुर:स्थापना करने की अनुशंसा करते है ।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित १५ दिसंबर, २०२३

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार)
महाराष्ट्र विधानसभा

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.